न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स01/2020 ता0रजु. 12.05.2020 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक19.06.20

सरकार

बनाम

लक्ष्मण पुत्र सुकी

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का बरखेड़ा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम झामरी के खसरा नम्बर 529 रकवा 0.01हैक्ट. किस्म भूमि बंजड(सिवायचक) पर सम्बत 2077 में श्री लक्ष्मण पुत्र सुकी जाति जाट निवासी क्षामरी तह0 बयाना ने पाटौर डालकर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना नहीं आया अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।न्यायालय उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।
अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 529 रकवा 0.01 हैक्ट. वाके ग्राम झामरी से बेदखल किया जाता है। लगान राशि 0.04 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 2 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली को अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 19.06.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना